

उत्तर प्रदेश शासन  
परिवहन अनुभाग-4  
संख्या-6/2023/345/तीस-4-2023-8(19)/2018 टीसी  
लखनऊ: दिनांक: 02 मार्च, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, समय समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-2004/30-4-09-8(19)/09, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में :-

- (क) प्रथम परन्तुक में शब्द "परन्तु यह भी कि " के स्थान पर शब्द "परन्तु यह कि" रख दिये जायेंगे।
- (ख) अधिसूचना संख्या-6/2020/580/तीस-4-2020-8(19)/2018टीसी, दिनांक 23.06.2020 द्वारा पूर्वोक्त अधिसूचना में बढ़ाये गये तृतीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह भी कि उत्तर प्रदेश राज्य में क्रयकृत एवं रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रिक यानों (ईवी) के लिए सारणी के क्रमांक-1 और 2 के सम्मुख स्तम्भ 2 में उल्लिखित मोटरयानों को स्तम्भ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट कर से शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। उपर्युक्त छूट निम्नवत् लागू होगी:

- (एक) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अधिसूचना के दिनांक, दिनांक 14.10.2022 से दिनांक 13.10.2025 तक उत्तर प्रदेश राज्य में क्रयकृत एवं रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रिक यानों (ईवी) पर।
- (दो) दिनांक 14.10.2022 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवें वर्ष अर्थात् दिनांक 14.10.2025 से दिनांक 13.10.2027 तक उत्तर प्रदेश में विनिर्मित, क्रयकृत तथा रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रिक यानों (ईवी) पर।

स्पष्टीकरण: इस परन्तुक के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रिक यान का तात्पर्य इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करने वाले ऐसे समस्त ऑटोमोबाइलों से है, जो बैटरी, अल्ट्रा-कैपेसिटर अथवा ईंधन सेल द्वारा चालित होते हैं। इनमें समस्त 2-व्हीलर, 3-व्हीलर एवं 4-व्हीलर स्टॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान (एचईवी), प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान (पीएचईवी), बैटरी इलेक्ट्रिक यान (बीईवी) तथा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक यान (एफसीईवी) सम्मिलित हैं।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू  
प्रमुख सचिव

संख्या-6/2023/345(1)/तीस-4-2023-8(19)/2018टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

लुटावन राम  
विशेष सचिव

संख्या-6/2023/345(2)/तीस-4-2023-8(19)/2018टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 02 मार्च, 2023 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

लुटावन राम  
विशेष सचिव

संख्या-6/2023/345(3)/तीस-4-2023-8(19)/2018टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलैट ट्रिब्यूनल उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग /न्याय/वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह  
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**UTTAR PRADESH SHASAN  
PARIVAHAN ANUBHAG-4**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 6/2023/345/xxx-4-2023-8(19)/2018 TC, dated 02 March, 2023.

**Notification**

No.6/2023/345/xxx-4-2023-8(19)/2018 TC  
Lucknow: Dated 02 March, 2023

In exercise of the powers under sub-section (1-A) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act 1904 (U.P. Act no 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government Notification no.2004/xxx-4-09-8(19)/09, dated 28 October, 2009 as amended from time to time.

**Amendment**

In the aforesaid notification:-

- (a) in the first proviso, for the words "Provided also that", the words "Provided that" shall be substituted;
- (b) in place of the third proviso inserted in the aforesaid notification vide Notification No. 6/2020/580/XXX-4-2020-8(19)/2018TC, dated 23.06.2020, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided also that motor vehicles in column no. 2 against serial no. 1 and 2 of the table shall be given 100 percent exemption of tax specified in column no. 3 and 4, for Electric Vehicle (EV) purchased and registered in Uttar Pradesh. The above exemption is applicable as follows:

- (i) on any electric vehicle (EV) purchased and registered in the State of Uttar Pradesh from the date of notification of Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy, 2022, dated 14.10.2022 upto 13.10.2025.
- (ii) on any electric vehicle (EV) manufactured, purchased and registered in Uttar Pradesh in the fourth and fifth year of effective period of Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy, 2022 notified on 14.10.2022 i.e. from 14.10.2025 to 13.10.2027.

Explanation: For the purpose of this proviso, Electric vehicles (EV) means all automobiles using an electric motor that is driven by either batteries, ultra-capacitors, or fuel cells. This includes all 2-wheeler, 3-wheeler and 4-wheeler Strong Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Battery Electric Vehicle (BEV) and Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)."

By Order,

L. Venkateshwar lu  
Principal Secretary